राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.12( )परि/आयो./ऑ.प्री.बू.यो./2019/4196 जयपुर, दिनांकः– 24/2/2020

आदेश संख्या– 10/2020

ऑटोरिक्शा प्रीपेड बूथ योजना –2020

राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों/शहरों में चल रहे ऑटोरिक्शा की सेवा/संचालन के संबंध में निर्धारित किराए से अधिक वसूली, मीटर में खराबी, सेवा से इन्कार, दुर्व्यवहार, परेशान करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। यात्रियों के जल्दी में होने अथवा पर्याप्त विधिक उपचार प्रभावी नहीं होने के कारण शिकायतें किसी पोर्टल पर दर्ज भी नहीं हो पाती हैं। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऑटोरिक्शा संचालन के संबंध में यात्रियों को दी जाने वाली परिवहन सुविधा को सुलभ, सुगम, सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑटोरिक्शा प्रीपेड बूथ योजना प्रारंभ/लागू किया जाना आवश्यक हो गया है। निर्धारित योजना से ऑटोरिक्शा के संचालन से आमजन को सुविधा होगी एवं ऑटोरिक्शा चालकों की मनमानी प्रवृति पर भी नियंत्रण हो सकेगा/किया जा सकेगा।

1. इस योजना का नाम ऑटोरिक्शा प्रीपेड बूथ योजना, 2020 (शहर/जिले का नाम) होगा।
2. इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय संचालन समिति का गठन किया जायेगा, समिति के अध्यक्ष डीसीपी यातायात/जिला पुलिस अधीक्षक होंगे तथा अन्य सदस्यों में पुलिस, परिवहन एवं ऑटोरिक्शा यूनियन के सदस्य होंगे।
3. इस योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले ऑटोरिक्शा की प्रत्येक एकल ट्रिप पर निर्धारित किराया के अतिरिक्त रू. 10/– लिया जावेगा जो कि संबंधित यात्री द्वारा देय होगा।
4. प्रति एकल ट्रिप से प्राप्त रू. 10/– से एक कल्याण कोष गठित होगा जिससे संबंधित बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा।
5. योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय संचालन समिति का गठन, समिति के कार्य, प्रीपेड बूथ का खोला जाना, स्टाफ नियुक्ति, कल्याण कोष का उपयोग, लेखा संधारण आदि इस योजना के विधान पत्र के अनुसार होगा।
6. वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों एवं अलवर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर तथा पुष्कर में प्रारंभ की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर यह योजना जिले के पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) की अनुशंसा पर आवश्यकतानुरूप प्रारंभ की जा सकेगी।

विधान पत्र

1.समिति का नाम	..... ऑटो रिक्शा प्रीपेड बूथ संचालन समिति
2. समिति का प्रधान एवं पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र	समिति का प्रधान एवं पंजीकृत कार्यालय .....होगा तथा समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण ..... तक सीमित रहेगा।
3. समिति के उद्देश्यः	इस समिति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: 1. समिति के कार्यक्षेत्र में ऑटो रिक्शा के माध्यम से आमजन को परिवहन के साधन उपलब्ध करवाना। 2. आमजन के लिए सुगम, सुलभ, सस्ती एवं सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध करवाना। 3. आमजन के हित में वे सभी कार्य करना जो ऑटो रिक्शा परिवहन से जुड़े हुए हों। 4. महिला यात्रियों के परिवहन हेतु महिला चालकों को प्रोत्साहित किया जाना। 5. महिला यात्रियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला हेल्पलाईन नम्बर लिखवाया जाकर तकनीकी सुविधाओं के विस्तार के साथ भविष्य में जी.पी.एस. लगाया जाना सुनिश्चित करना। 6. ऑटो रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना।
4. सदस्यता	निम्नलिखित व्यक्ति समिति के सदस्य बन सकेंगेः– 1. केन्द्रीय संचालन समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य समिति के पदेन सदस्य होंगे। 2. जिले में संचालित परमिटधारी ऑटो रिक्शा वाहन स्वामी/कब्जाधारी/वाहन चालक । • सदस्यों का नाम, पता, ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर एवं टेलीफोन नम्बर आदि का रिकॉर्ड प्रीपेड बूथ पर संधारित किया जायेगा। • सदस्यता से पूर्व वाहन चालक का पुलिस से सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।
5. सदस्यता से निष्कासन	समिति के सदस्यों का निष्कासन केन्द्रीय संचालन समिति द्वारा उपसमिति की सिफारिश पर निम्न प्रकार किया जा सकेगाः– 1. मृत्यु होने पर। 2. त्याग–पत्र देने पर। 3. समिति के उद्देश्यों के विपरीत काम करने पर। 4. केन्द्रीय संचालन समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर। निष्कासन के पश्चात पुनः सदस्यता हेतु आवेदन केन्द्रीय संचालन समिति अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा, जिस पर निर्णय केन्द्रीय संचालन समिति द्वारा लिया जाएगा।

6. प्रशासन	1.ऑटोरिक्शा प्रीपेड बूथ योजना का प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन केन्द्रीय संचालन समिति के अधीन होगा। केन्द्रीय संचालन समिति निम्नानुसार होगी :– i. उपायुक्त यातायात पुलिस (DCP Traffic)/ जिला पुलिस अधीक्षक–अध्यक्ष ii. अति. उपायुक्त यातायात पुलिस (Adl. DCP Traffic)/उप पुलिस अधीक्षक यातायात/उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय – उपाध्यक्ष iii. संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (RTO/DTO)– सचिव iv. जिले का एक यातायात पुलिस निरीक्षक (एस.पी. द्वारा नामित) – कोषाध्यक्ष v. जिले का एक परिवहन निरीक्षक (RTO/DTO द्वारा नामित) – सदस्य vi. ऑटोरिक्शा पंजीकृत यूनियन के अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में –सदस्य 2. केन्द्रीय संचालन समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे:– i. उप समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रीपेड बूथ स्थापित करना/बंद करना। ii. किराये का निर्धारण/पुनर्निर्धारण। iii. प्रीपेड बूथ पर कार्यरत संविदा कर्मियों के नियत पारिश्रमिक का निर्धारण करना। iv. प्रीपेड बूथ संचालन हेतु संविदा कर्मियों, होम गार्ड्स एवं भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं उपाप्त करना/सेवाएं समाप्त करने संबंधित कार्य। v. प्रीपेड बूथ पर कार्यरत संविदा कर्मियों की यूनिफॉर्म का निर्धारण। 3. केन्द्रीय संचालन समिति के कार्यों में सहयोग हेतु एक उप समिति निम्नानुसार होगी:– i. यातायात पुलिस निरीक्षक/उप निरीक्षक (एस.पी. द्वारा नामित) – सचिव ii. परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक (RTO/DTO द्वारा नामित) –सदस्य iii. ऑटो रिक्शा यूनियन का एक प्रतिनिधि –सदस्य 4. उप समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे :– i. दैनिक प्रशासनिक कार्य। ii. दैनिक प्रशासनिक खर्चों का भुगतान। iii. एक प्रीपेड बूथ से दूसरे बूथ पर संविदा कर्मी/होम गार्ड/भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं उपाप्त करना, परिवर्तित करना एवं हटाना। iv. प्रीपेड बूथ पर मानव संसाधन सेवाओं के उपापन से पूर्व इनके कार्य कौशल के परीक्षण हेतु परीक्षा/साक्षात्कार करना। **बैठक** :– केन्द्रीय संचालन समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से एवं

	उप समिति की बैठक मासिक रूप से आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।
7. प्रीपेड बूथ पर मानव संसाधन की आवश्यकता का निर्धारण	प्रीपेड बूथ योजना के अंतर्गत मानव संसाधन हेतु आवश्यक संविदा/ होम गार्ड्स/भूतपूर्व सैनिकों की संख्या का निर्धारण किया जायेगा। आवश्यकतानुसार संविदा पर मानव संसाधन /होम गार्ड्स/भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सकेंगी। उप समिति की अनुशंसा पर केन्द्रीय संचालन समिति आवश्यक मानव संसाधन एवं उनके नियत पारिश्रमिक का निर्धारण करेगी। • सभी प्रीपेड बूथ पर मानव संसाधन की सेवाएं संविदा/ होम गार्ड्स/भूतपूर्व सैनिकों से ली जायेंगी तथा इनकी संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के एक माह पूर्व ही आगामी एक वर्ष के लिए मानव संसाधन सेवाओं की आवश्यकता का आंकलन कर आवश्यक होने पर उपापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। • मानव संसाधन की सेवाएं उपाप्त करने में होम गार्ड्स/भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जायेगी। • केन्द्रीय संचालन समिति संविदा कर्मियों/होम गार्ड्स/ भूतपूर्व सैनिकों की योग्यता के संबंध में पूर्ण अधिकार रखेगी। आयु सीमा :– प्री पेड बूथ संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी। **मानव संसाधन सेवाओं का निर्धारण** :– आवश्यकता अनुसार बूथों के संचालन हेतु केन्द्रीय संचालन समिति निम्नानुसार मानव संसाधन सेवाओं का निर्धारण (उपलब्ध कोष के मद्देनजर) करेगी:– 1. काउन्टर क्लर्क – योग्यता– न्यूनतम योग्यता 12 वीं पास व कम्प्यूटर का ज्ञान जिसमें कम से कम आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। कार्य– प्रीपेड टिकट जारी करना एवं लेखों का संधारण 2. हैल्पर– योग्यता– न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास व कम्प्यूटर का ज्ञान। कार्य– काउन्टर क्लर्क को उसके कार्य में सहायता करना। 3. सहायक लेखापाल– योग्यता– स्नातक (वाणिज्य) एवं लेखा कार्य का 3 वर्ष का अनुभव। 4. प्रबंधक– योग्यता– स्नातक, प्रबंधन में स्नातक /स्नातकोत्तर को

प्राथमिकता।

<u>प्रीपेड बूथ पर सेवा प्रदान करने वाले मानव संसाधन के कार्य/दायित्व –</u>

1) प्रीपेड बूथ पर कार्यरत मानव संसाधन यात्री के गन्तव्य स्थान का विनिश्चय कर किराया तालिका से उसका किराया निर्धारण करेगा। यात्री से निर्धारित किराया सामान भाड़ा एवं सेवा शुल्क प्राप्त कर उसकी हस्ताक्षरयुक्त रसीद यात्री को देगा जिसमें किराया, गन्तव्य स्थान एवं ऑटो का पंजीयन क्रमांक, वाहन चालक का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जायेगा।
2) ऑटो चालक द्वारा यात्री का उसके गन्तव्य पर पहुंचाने के पश्चात रसीद पर उसके हस्ताक्षर लेगा तथा यह रसीद संबंधित प्रीपेड बूथ पर प्रस्तुत करने पर उसे उसका भुगतान किया जायेगा। ऑटो चालक को किये गये भुगतान की प्राप्ति रसीदों को रिकॉर्ड में रखते हुए लेखों का संधारण किया जावेगा। काउन्टर क्लर्क/हैल्पर उसकी ड्यूटी समाप्ति के पश्चात् उसके पास उपलब्ध किराया राशि एवं सर्विस चार्ज लेखापाल को जमा करायेगा।
3) लेखा पाल सर्विस चार्ज की प्रतिदिन की राशि अगले कार्य दिवस में बैंक में जमा कराना सुनिश्चित करेगा।
4) ऑटो चालकों को पुनर्भुगतान की सुविधा सभी प्रीपेड बूथ पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
5) प्रीपेड बूथ सेवा चाहने वाला यात्री जैसे ही बूथ काउन्टर पर अपना गन्तव्य स्थान बताएगा, काउन्टर पर मौजूद स्टाफ यात्री को उसका जो किराया बनता है उसकी रसीद दो प्रति में देगा जिसमें गन्तव्य स्थान एवं निर्धारित किराये का अंकन होगा।
6) ऑटो ड्राइवर को यात्री को उसके गन्तव्य स्थान पर पहुंचाना होगा।
7) यात्री अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने पर प्रीपेड बूथ द्वारा जारी वाउचर/रसीद पर अपने हस्ताक्षर कर ऑटो चालक को लौटायेगा।
8) ऑटो चालक वापसी में प्रीपेड बूथ पर रसीद/वाउचर प्रस्तुत कर अपना भुगतान प्राप्त करेगा।
9) प्रीपेड बूथ पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी/होमगार्ड/बूथ स्टाफ यात्री को आवश्यक सहायता करेगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी/होमगार्ड/बूथ स्टाफ यात्रियों को प्रीपेड बूथ की सेवा लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

10) बूथ पर कार्यरत ट्रैफिक पुलिसकर्मी/बूथ स्टाफ/होमगार्ड किराया तालिका बूथ पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

लेखों के संधारणकर्ता के दायित्व :–

लेखापाल सर्विस चार्ज की राशि प्रतिदिन बैंक खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेगा। लेखापाल ऑटो चालकों को पुनर्भुगतान की जाने वाली राशि के खातों का संधारण कराना एवं उसे प्रतिदिन चैक करना सुनिश्चित करेगा। लेखापाल दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक लेखा प्रपत्रों का संधारण एवं केन्द्रीय संचालन समिति को भेजना सुनिश्चित करेगा।

प्रीपेड बूथ का पर्यवेक्षण :–

यातायात निरीक्षक पुलिस क्षेत्र में स्थित प्रीपेड बूथ के दैनिक कार्यकलाप का पर्यवेक्षण करेगा। यातायात निरीक्षक पुलिस प्रतिदिन बूथ पर प्राप्त राशि को लेखा रिकॉर्ड के आधार पर चैक करेगा। कोई भी यातायात निरीक्षक बूथ पर 6 माह से अधिक कार्य नहीं करेगा।

प्रीपेड बूथ संचालन हेतु मानव संसाधन सेवाएं उपाप्त करने हेतु शर्तें :–

1) प्रीपेड बूथ पर सेवा प्रदाता मानव संसाधन पूर्णतया संविदा पर कार्य करेगा। दैनिक भुगतान दर समय–समय पर केन्द्रीय संचालन समिति के स्तर पर पुनर्निर्धारित की जा सकेगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। मानव संसाधन को भुगतान उनके द्वारा किये गये कार्य के दिनों के आधार पर किया जायेगा।
2) सेवा प्रदाता मानव संसाधन नियमित नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
3) कार्यरत मानव संसाधन निर्धारित यूनिफॉर्म पहनेंगे एवं अपना परिचय पत्र धारण करेंगे।
4) उप समिति मानव संसाधन को एक बूथ से दूसरे बूथ पर भेज सकेगी।
5) उप समिति, किसी भी मानव संसाधन की अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार या अन्य अनियमितता की शिकायत पर शिकायत की जांच कर सही पाये जाने पर केन्द्रीय संचालन समिति की सहमति लेकर उसे सेवा से हटा सकेगी।

फीडबैक :– सेवा शुल्क प्राप्ति की रसीद पर प्रीपेड बूथ के संचालन, बूथ पर कार्यरत स्टाफ एवं ऑटो रिक्शा के वाहन चालक से संबंधित फीडबैक सेवा प्राप्त करने वाले यात्री से ली जायेगी।

8. शिकायतें एवं निस्तारण	प्रीपेड बूथ के संचालन, बूथ पर कार्यरत मानव संसाधन एवं ऑटो रिक्शा के वाहन चालक से संबंधित कोई भी शिकायत दूरभाष के माध्यम से अथवा लिखित रूप से प्रीपेड बूथ पर की जा सकेगी। भविष्य में शिकायतें दर्ज करवाने हेतु ऑनलाईन माध्यम विकसित किया जायेगा। प्राप्त शिकायतों का उप समिति द्वारा 3 दिवस में परीक्षण किया जाकर 7 दिवस में निस्तारण किया जायेगा। प्राप्त शिकायत उप समिति स्तर पर निस्तारण योग्य नहीं होने पर केन्द्रीय संचालन समिति को निस्तारण हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
9. समिति का कोष	समिति का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा : 1. समिति के कार्यक्षेत्र में संचालित समस्त ऑटों से सदस्यता शुल्क रू. 100/– लिया जाएगा। 2. प्रीपेड बूथ के संचालन हेतु स्टाफ, आवश्यक स्टेशनरी एवं अन्य सामान की व्यवस्था एवं समिति के सदस्यों के कल्याण हेतु 10/– रू (प्रत्येक एकल ट्रिप) पर इस योजना का लाभ लेने वाले यात्री से लिये जायेंगें।
10. कोष संबंधी विशेषाधिकार	प्रीपेड बूथ संचालन से प्राप्त राशि का उपयोग बूथ के संचालन संबंधी कार्यों, आधारभूत सुविधाओं, संविदा कर्मियों के वेतन एवं ऑटो रिक्शा प्रीपेड बूथ संचालन समिति के सदस्यों के कल्याण हेतु किया जायेगा। कल्याणकारी कार्यों में सदस्यों का बीमा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा, सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण आदि सम्मलित होंगे। संचालन समिति के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार समिति की राशि नियमानुसार केन्द्रीय संचालन समिति निर्णय लेकर स्वीकृत कर सकेगी। अंकेक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय संचालन समिति द्वारा की जावेगी। समिति द्वारा भुगतान के चैक अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किए जायेंगे। रोकड़ बही का संधारण एवं बैंक से अंकमिलान का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष का होगा।
11. समिति का अंकेक्षण	समिति के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से कराया जायेगा। समिति की विशेष जांच संचालन समिति स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग/निरीक्षण विभाग राजस्थान सरकार से करा सकेगी।

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकः– प.12( )परि/आयो./ऑ.प्री.बू.यो./2019/4197-4209 जयपुर, दिनांकः–24/2/2020

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव परिवहन।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव।
5. अति. महानिदेशक, यातायात जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर, जोधपुर।
8. जिला कलेक्टर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, भीलवाडा, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर।
9. पुलिस अधिक्षक कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, भीलवाडा, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी।
11. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर।
12. जिला परिवहन अधिकारी, कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, भीलवाडा, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर।
13. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अपर परिवहन आयुक्त (यो.वि.)